न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2019/82

1. चेतराम पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी लक्ष्मीनारायणसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

– वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री रामकरण मूण्ड वकील वादी।
2. पैरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

–:निर्णय:–

दिनांक :– 19.08.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम चक 7 डीएलडी तहसील लूनकरणर की जमांबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 12 में वादी का नाम चेतन राम वल्द सोहनराम बिश्नोई साकिन लक्ष्मीनारायणसर रहन बिला कब्जा बहक एसबीबीजे(एडीबी लूनकरनसर) व इसी चक के खाता सख्या 1 में मु.नं 186/48, 187/33 व 187/41 कुल 17 बीघा 10 बिस्वा कमांड भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें सहवन से वादी का नाम चेतराम के स्थान पर चेतनराम अंकित हो गया है। वादी का वास्तविक नाम चेतराम पुत्र सोहनलाल तथा इसी नाम से जाना व पुकारा जाता रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

वादी का वास्तविक नाम चेतराम समस्त रिकार्ड यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेज में है। यह कि वादी द्वारा कई बार राजस्व अभियानों में नाम दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये परंतु उन प्रार्थना पत्रों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। मजबूरन वादी के पास घोषणात्मक वाद के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वादी द्वारा तहसीलदार महोदय को नाम दुरूस्ती की प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2019 को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाने के कारण वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण हासिल हुआ है। वादी द्वारा स्टेट से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। स्टेट आफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। नाम दुरूस्ती से किसी प्रकार का अहित नहीं होगा। अतः दावा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में संधारण योग्य है। वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर चक 7 डीएलडी के वर्तमान खाता संख्या 12 व 1 में वादी के नाम चेतनराम पुत्र सोहनराम की जगह चेतराम पुत्र सोहन लाल दुरूस्त करने की घोषणा फरमाई जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी स्टेट को समन जारी किये गये। स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। हमने पत्रावली कें संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सूची फॉर्म नम्बर 3 के संलग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थी दिनांक 14.12.2018 जिसमें इस न्यायालय की आदेश दिनांक 06.06.2018 की पालना बाबत निवेदन किया गया है। जिस पर तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा दिनांक 14.12.2018 को दुरूस्ती आदेश मुकदमा संख्या 98/2018 अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआरए के तहत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर पर्चा डिक्री जारी की हुई है। जिसमें ग्राम लक्ष्मीनारायणसर की जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 53 में वादी का नाम चेतनराम के स्थान पर चेतनराम उर्फ चेतराम दुरूस्ती की आज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रकार वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज एवं ग्राम लक्ष्मीनारायणसर में स्थित भूमि में वादी के नाम की गई दुरूस्ती की घोषणा के आधार पर प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर चक 7 डीएलडी के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 12 व 1 में वादी का नाम चेतनराम के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

चेतनराम उर्फ चेतराम पुत्र सोहनलाल दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तद्नूसार पर्चा डिक्री जारी हों। तहसीलदार लूनकरनसर को उक्त निर्णय की पालना में रिकार्ड दुरूस्त करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/19

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : शिवपाल जाट आरएएस

चेतराम **बनाम** सरकार

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर : 82/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री रामकरण मूण्ड** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम चक 7 डीएलडी के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 12 व 1 में वादी का नाम चेतनराम के स्थान पर चेतनराम उर्फ चेतराम पुत्र सोहनलाल दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- .... बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-................ .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 19/8/19 ... को डिक्री जारी की गई।

19/8/19

उपखण्ड अधिकारी

लूनकरनसर

Scanned by CamScanner